मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462 016 (M.P.)
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल– 462 016 (म.प्र.)

कमांक मुप्रनिबो / मॉनि.शाखा / 2010 भोपाल, दिनांक

प्रेस विज्ञप्ति
अपील

दीपावली प्रकाश का पर्व है, परन्तु दीपावली के समय ज्वलनशील एवं ध्वनि कारक विभिन्न प्रकार के पटाखों का उपयोग प्रदेश के प्रायः समस्त क्षेत्रों में किया जाता है। ज्वलशील एवं ध्वनि कारक पटाखो के उपयोग के कारण परिवेशीय वायु की गुणवत्ता एवं ध्वनि स्तर में प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा मानव अंगो पर भी दुष्प्रभाव पडता है एवं कुछ पटाखों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता 100 डेसीबल से भी अधिक होती है। अतः ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है।

उपरोक्त के संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जी.ए.आर. 682(ई) दिनांक 05.10.1999 में पटाखों के लिये ध्वनि स्तर मानक निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैः-

(1) प्रस्फोटन के बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी. (ए.आई.) या 145 डी.बी. (सी) पी कं. से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखो का विनिर्माण, विक्रय डी.बी.(सी) पी कं. से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखो का विनिर्माण, विक्रय या उपयोग प्रतिषिद्ध होगा ।

(2) लडी (जुडे हुए पटाखो) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिये उपर वर्णित सीमा 5log 10 (N) dB तक कम किया जा सकेगा, जहॉ एन = एक साथ जुड हुए पटाखो की संख्या ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट–पिटीशन (सिविल) कमांक 72 / 1998" ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण" के परिप्रेक्ष्य में 18 जुलाई 2005 को जारी जजमेंट में दिये गये निर्देशानुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि कारक पटाखो को चलाया जाना पूर्णत प्रतिबन्धित होगा।

पटाखो के जलाने के उपरान्त उनसे उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानो पर न फैका जायें, जहॉ पर प्राकृतिक जल स्त्रोत/पेयजल स्त्रोत है, क्योकि विस्फोटक सामग्री खतरनाक रसायनो से निर्मित होती है।

सदस्य सचिव

H.M.1R

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462 016 (M.P.)
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल– 462 016 (म.प्र.)

कमांक मुप्रनिबो/मॉनि.शाखा/2010 भोपाल, दिनांक

प्रेस विज्ञप्ति
अपील

दीपावली पर्व के दौरान बहुत मात्रा में विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील एवं ध्वनि कारक पटाखो का उपयोग प्रदेश के प्रायः समस्त क्षेत्रो में किया जाता है। इन पटाखो मे बारूद एवं अन्य खतरनाक रसायनों का उपयोग होने के कारण परिवेशीय वायु की गुणवत्ता एवं ध्वनि स्तर में प्रतिकूल प्रभाव पडता है जो मानव अंगो के लिये भी हानिकारक है। पटाखों के जलने से उत्पन्न कागज के टुकडे एवं अधजली बारूद बचं जाती है तथा इस कचरे के सम्पर्क मे आने वाले पशुओं एवं बच्चो के दुर्घटनाग्रस्त होने क सम्भावना रहती है।

अतः आम जनता से निवेदन है कि पटाखों को जलाने के पश्चात उत्पन्न कचरे को घरेलू कचरे के साथ न रखे। उन्हे अलग स्थान पर रखकर नगर–निगम के कर्मचारियों को सौप देवें। नगर–निगम एवं नगर पालिकाओं से भी यह भी अनुरोध है कि पटाखो का कचरा पृथक संग्रहित करके उसका निष्पादन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव